

दिनांक : 30.06.2021

TGPL/CGD/GA-83/MBD/2021/257 सेवा में,

> श्रीमान प्रभागीय निर्देशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषयः- जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद - चन्दौसी मार्ग (एन0एच0-509)कि0मी0 चैनेज 20.000 से 34.100 तक बांयी पटरी, मुरादाबाद - संभल मार्ग (एस0एच0-148) कि0मी0 चैनेज 6.180 से 16.140 तक बांयी पटरी, मेरठ - बरेली मार्ग (एन0एच0-24)कि0मी0 चैनेज 160.050 से 164.100 तक दांयी पटरी, मेरठ - बरेली मार्ग (न्यु एन0एच0-09) कि0मी0 चैनेज 166.000 से 174.900 तक बांयी पटरी एंव मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर मार्ग (एन0एच0-734) कि0मी0 चैनेज 0.000 से 2.200 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछायें जाने हेतु 2.3544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। File no. FP/UP/Pipeline/120844/2021.

संदर्भ— कार्यालय वन संरक्षक एंव क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र मुरादाबाद के पत्र संख्या—3396 ∕ 14−1 मुरादाबाद दिनांक 23.06.2021.

2. आपके कार्यालय के पत्र संख्या 2958 / 14–1 मुरादाबाद, दिनांक 23.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की बिंदुवार वांछित सूचना/अभिलेख निम्नवत है:

क्र0स0	आपत्ति / प्रदत्त सूचना	निराकरण / आख्या
1	गैस पाईपलाईन बिछाये जाने संबंधी	उक्त प्रकरण general approval से आच्छादित है,
	general approval के प्रकरणों	क्योंकि भारत सरकार के पत्र संख्या
	में सी०ए० से छुट दी गयी है।	एफसी–11/165/2019–एफसी दिनाकं 27 जुलाई
	विषयगत प्रकरण 2.5344 हे0	2020 कें बिंदु संख्या—3 में क्षेत्रफल उल्लेख नही है
	संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी	अतः स्पष्टीकरण देते हुऐ कहा गया है की मौजूदा
	प्रयोग से संबंधित है, जो 1.00 हे0	
	से अधिक का होने के कारण	फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के पानी की
	general approval आच्छादित है	पाइपलाइन, बिजली केबल्स, सीएनजी / पीएनजी और
	अथवा नही ?	रलरी पाइपलाइन इन परियोजनाओं के लिए सामान्य
		स्वीकृति हैं, जोकि भारत सरकार के परिपत्र में



		उल्लेखित विशिष्ट शर्तो के अनुसार दिया जाता है। (प्रति संलग्न)
2	विषयगत प्रकरण में सी०ए० से छूट दिये जाने का कथन किया गया है ? सी०ए० न लिए जाने की स्थिति स्पष्ट किया जाय।	. भारत सरकार के पत्र दस्तावेज संख्या एफसी–11/165/2019–एफसी दिनाकं 27 जुलाई 2020 कें बिंदु संख्या–2 व 3 में स्पष्ट किया गया है, की मौजूदा सड्कों के आरओडब्ल्यू के भीतर भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, टेलीफोन लाइनें, पीने के पानी की पाइपलाइन, बिजली केबल्स, सीएनजी/पीएनजी और स्लरी पाइपलाइन बिछाने के लिए सीए नहीं लगाया जा सकता और सीए कि छूट दी जाती है. चूंकि, टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित पाइपलाइन एक सीएनजी पाइपलाइन है और खाई का आकार एक मीटर चौडाई व दो मीटर गहराई से अधिक नहीं है। (प्रति संलग्न)
3	पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन /आफलाइन परीक्षण कर लें, ताकि कोई अन्य कमी न रहे।	प्रस्ताव का ऑनलाइन /आफलाइन परीक्षण कर लिया गया है, जिसमें कोई त्रुटी नही पायी गयी।

भवदीय,

कृते टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0।

Public

प्रभोष कुमार प्रबंधक (सी0आर0) मो0 7534004611 प्रतिलिपि –1. मुख्य

प्रतिलिपि –1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2.वन संरक्षक मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। Government of India Ministry of Environment Forests & Climate Change (Forest Conservation Division)

> Indira Paryavaran Bhawan Jor Bagh Road, Aliganj 5<sup>th</sup> Floor, Agni Wing New Delhi-110003 Dated: 27th July, 2020

To,

The Principal Secretary (Forests) All States/UTs

Sub: Clarification regarding guidelines for diversion of forest land for non-forest purpose as per the general approval, under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, for laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines-reg.

Sir,

I am directed to refer to the representation received from the Government of Punjab through Regional Office Chandigarh vide letter no. 1-2Misc/2019-ROC dated 08.01.2020 on the above mentioned subject and to inform that the matter was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 23.04.2020.

2. FAC observed that as per existing guidelines dated 28.03.2019, condition mentioned in Para 4.1 (f) is also applicable on the proposals mentioned in Para 4.2. It further observed that laying of underground CNG/PNG and Slurry pipelines in RoW of the existing road is an activity being taken up in forest area which is already under non forest use.

3. After thorough deliberation on the issue, FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees.

4. In view of the above, Para 4.2 of the Comprehensive Guidelines issued on 28.03.2019 may be read as: -

Laying of Underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelines, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines. General approval is accorded for taking up these projects within RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries' without felling of trees. Approval, in addition to general conditions mentioned above under para 4.1 (except condition "f"), subject to the following specific conditions:

a. No tree felling is involved for the proposed work

b. After completion of the project the area under RoW should be reclaimed suitably

c. 6.1 agrees to make good of any loss to Forest Environment.

- a. The E4 will seek permission from the local FD for carrying out any maintenance
- e In case, the proposed area falls in the RoW of the road passing through National Parks and Wildlife Sancharies, General Approval is subject to prior permissions from the State Board for Wildlife.
- f. In case of project involve tree felling, ten trees for each tree marked for removal shall be planted at the cost of user agency in consultation with the local forest department.

This issues with the approval of the competent authority.

Your faithfully,

(Sandeep Sharma) Asst. inspector General of Forests

Copy to:

- 1. The PCCF (HoFF), Department of Forest, All States/UT3.
- 2. The DDGFs(Central), MoEF&CC, All Regional Offices.
- 3. The Nodal officer (FCA), Department of Forest, All states/UTs.
- 4. Monitoring cell of FC Division with request to upload on PARIVESH portal

IOWN

## कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद। पत्रांक 3396/ 14-1 दिनांक, मुरादाबाद, 23 / 08 / 2021

रोवा में.

र्प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग. मुरादाबाद।

विषय:-

जनपद मुरादाबाद में टोरेंट गैस प्राoलिo, मुरादाबाद, द्वारा मुरादाबाद-चन्दौसी मार्ग (एन०एच०-509) किमी० चैनेज 20.000 से 34.100 तक बाँची पटरी, मुरादावाद-सम्भल मार्ग (एरा०एच0-148) किमी० चैनेज 6.180 से 16.140 तक बाँची पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (एन०एच०-24) किमी० चैनेज 160.050 से 164.100 तक दाँयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (न्यु एन०एच०-०९) किमी० चैनेज 166.000 रो 174.900 तक दाँयी पटरी एवं मुरादाबाद-वाकुद्वारा-काशीपुर मार्ग (न्यु एन०एच०-734) किमी0 चैनेज 0 रो 2.200 तक बाँयी पटरी पर गैस पाईप लाइन बिछाये जाने हेतु 2.3544 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। File No. FP/UP/Pipeline/120844/2021

सन्दर्भः-

आपकी पत्र सं0-2885/14-1 दिनांक 09.06.2021

महोदय.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ / अभिलेखों का आभाव पाया गया है :--

- गैस पाईप लाइन बिछाये जाने सम्बंधी general approval के प्रकुरण में सी०ए० में छूट दी गयी है। 1-बिषयक प्रकरण 2.3544 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित है जो 1.00 हे0 से अधिक का होने के कारण general approval से आच्छादित है अथवा नहीं की स्थिति स्पष्ट करें।
- बिषयक प्रकरण में सी०ए० में छूट दिये जाने का कथन किया गया है। सी०ए० न लिये जाने की स्थिति 2-स्पष्ट की जाये।
- पुनः प्रस्ताव का ऑनलाइन/आफलाइन परीक्षण कर लें, ताकि कोई अन्य कमी न रहें। 3-

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए तथा ऑनलाइन अपलोड करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 04 प्रतियाँ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 04 मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कराना सनिश्चित करें। संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(विजय सिंह) वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक. Nमुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद। पत्रांक 2956 / 19-1 दिनांक, मुरादाबाद जून, 23, 2021. ,हवा में, श्री प्रभाष कुमार, प्रबन्धक,(सी०आर०) टोरेंट गैस प्रा0 लि0, प्रथम तल, मंझोली चौराहा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद ।

जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0, मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद—चन्दौसी मार्ग (एन0एच0—509) कि0मी0 विषय:-चैनेज 20.00 से 34.100 तक मार्ग की बॉयी पटरी, मुरादाबाद-सम्भल मार्ग (एस0एच0-148) कि0मी0 चैनेज 6. 180 से 16.140 तक मार्ग की बॉयी पटरी, मेरठ-बरेली मार्ग (एन०एच०-24) कि0मी0 चैनेज 160.00 से 164.100 तक दॉयी पटरी , मेरठ–बरेली मार्ग (एन०एच०–०९) 166.00 से 174.900 तक मार्ग की दॉयी पटरी एवं मुरादाबाद—ठाकुरद्वारा—काशीपुर मार्ग (एन०एच०—734) कि०मी० चैनेज ० से 2.200 तक मार्ग की बॉयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु कुल 2.3544 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद का पत्रांक–3396 / 14–1 दिनांक 23–06–2021. सन्दर्भः-

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव में कतिपय बिन्दु सं0–1 से 3 तक आपत्तियाँ की गयी है जिनका निस्तारण आपके स्तर से किया जाना आपेक्षित है। अतः प्रस्ताव की पाचँ प्रतियाँ मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आप उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण (आनलॉईन व हार्डकापी) कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ताकि वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर संशोधित प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके। संलग्नक-प्रस्ताव की पॉच प्रतियॉ मूल में।

(कन्हैया-पर्टल) प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।

पत्राक

प्रेपित।

/ दिनांकित। प्रतिलिपिः- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ

(कन्हैया पटेल) प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुरादाबाद।